

1. उपर्युक्त विवरण के अनुसार 2005 के अक्टूबर 4 1/2 च
के अधिनियम के अन्तर्गत

1.1

1.1.1 जिला स्तर पर लघु सिंचाई विभाग का एक पद सहायक अभियन्ता, का है जिसका कार्य मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से जनपद के ग्रामों में लघु सिंचाई कार्यों का क्रियान्वयन अपने अधीनस्थ अवर अभियन्ता एवं बोरिंग तकनीशियन जो कि विकास खण्ड स्तर पर तैनात रहते हैं के माध्यम से कराया जाता है। अधिकारी स्तरीय संगठनात्मक ढाँचा निम्नलिखित है—

1.1.2 उपरोक्त अधिकारी के निर्देशानुसार अवर अभियन्ता एवं लिपिकीय स्तर के निम्न वरिष्ठ सहायक/कनिष्ठ सहायक/अमीन कार्य करते हैं—

1. अवर अभियन्ता
2. वरिष्ठ सहायक, स्थापना
3. वरिष्ठ सहायक, लेखा
4. कनिष्ठ सहायक, कार्यक्रम
5. कनिष्ठ सहायक, कार्यक्रम/लेखा/सामान्य पटल
6. कनिष्ठ सहायक, भण्डार सहायक
7. अमीन, रिसीट/डिस्पैच
8. अमीन—शिकायतों की प्राप्ति/निस्तारण

विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की स्थिति निम्नवत् है—

1. अवर अभियन्ता (ल0सि0) (एक पद)
2. बोरिंग तकनीशियन (तीन पद)

fcllnq / a; k&2

l gk; d vfhk; Urk ds vf/kdkj @dk; & लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनपद के ग्रामों में मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग हेतु अवर अभियन्ता/बोरिंग टैक्नीशियन/सहायक बोरिंग टैक्नीशियन के माध्यम से शैलों बोरिंग/मध्यम गहरे बोरिंग/गहरे नलकूप का कार्य कराया जाता है, एवं बो0 पर व्यय से सम्बन्धित भुगतान हेतु बिल संस्तुति कर अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किये जाते हैं स्टाफ में अनुशासन बनाने हेतु उनके कार्य क्षेत्र का विभाजन करना उनके द्वारा कराये जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा करना कार्य में लापरवाही करने पर दण्डित करने/अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उच्चाधिकारियों को कार्यवाही प्रस्तावित कराना, समस्त स्टाफ की चरित्र प्रविष्टियाँ लिखना।

drD; & लघु सिंचाई कार्यों का पर्यवेक्षण करना, समय-समय पर इनकी समीक्षा करना, क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्यों में आयी तकनीकी बाधाओं को दूर करना एवं अधीनस्थ अवर अभियन्ताओं को तकनीकी सलाह देना उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सत्यापन करना क्षेत्र के विभागीय कर्मचारियों की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरान्त विभिन्न विकास खण्डों में अवर अभियन्ताओं एवं बोरिंग टैक्नीशियन/सहायक बोरिंग टैक्नीशियन की तैनाती/स्थानान्तरण करना।

voj vfhk; Urk %ef; ky; ½ ds dk; & सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई की अनुपस्थिति में कार्यालय का सामान्य कार्य देखना, सहायक अभियन्ता के निर्देशों पर प्राप्त शिकायतों की जांच, विभिन्न कार्यों के प्राक्कलन तैयार करना, निष्प्रयोज्य सामग्री की सर्वे रिपोर्ट तैयार करना, मासिक स्टाक टी एण्ड पी अभिलेखों का प्रेषण, उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेना उक्त के अतिरिक्त अवर अभियन्ता (मु0) जनपदीय भण्डार के प्रभारी हैं। भण्डार पर समस्त बोरिंग उपकरण/सामग्री का रखरखाव होता है तथा विकास खण्डों हेतु जहां सामग्री की आवश्यकता होती है, वहां सामग्री भेजने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

ofj 'B l gk; d LFkki uk& स्थापना सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत वेतन/अन्य बिलों का निस्तारण करना, सेवा पुस्तिका/जी.पी.एफ. पासबुक/ लेजर बुक का कार्य।

ofj 'B l gk; d %ys[kk%& वरिष्ठ सहायक लेखा विकास खण्डों के अवर अभियन्ताओं के माध्यम से प्राप्त निःशुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग हेतु सामग्री/मजदूरी भुगतान के बीजकों को सहायक अभियन्ता की संस्तुति के उपरान्त खण्डीय कार्यालय में प्रेषण का कार्य एवं पम्प सैट स्थापना हेतु कृषकों को अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्य।

dfu'V l gk; d 1 %dk; De%& लघु सिचाई कार्यों की पाक्षिक/मासिक बैठकों का आयोजन कराना ल0सि0 कार्यों की प्रगति सूचना उच्चाधिरियों को उपलब्ध कराना तथा समय-समय पर सौंपे गये कार्य का निस्तारण करना।

dfu'V l gk; d 2 %i kekl; i Vy%& कार्यक्रम लेखा सम्बन्धी प्रगति सूचना बनाने में सहयोग करना जनपद के विभिन्न विभागों को सूचना समय से पहुंचवाने का दायित्व, मासिक लेखा तैयार करना, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्रदान करना।

dfu'V l gk; d 3 %Hk. Mkj%& भण्डार के मासिक स्टाक/टी एण्ड पी लेखा का प्रेषण, षटमासिक/वार्षिक स्टाक/टी एण्ड पी रजिस्ट्रों का बन्दीकरण कार्य, अभिलेखों का मिलान कर कमी/अधिकता सूचित करना, कमी वसूली के कार्यों के निष्पादन करना, मध्यम गहरे बोरिंग/गहरे बोरिंग के सर्वेक्षण हेतु प्राप्त ड्रफ्टों को भूगर्भ विभाग को प्रेषित करना बोरिंग कार्य कराने हेतु धनराशि बैंक में जमा कराने का कार्य, मध्यम गहरे नलकूप/गहरे नलकूप सम्बन्धी अभिलेखों का रखरखाव।

vehu %i Fke%& रिसीट/डिस्पैच का कार्य स्टेशनरी रखरखाव का कार्य/सत्यापन सम्बन्धी कार्य सत्यापन सम्बन्धी सूचनाओं को उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

vehu %f}rh; %& शिकायतों की प्राप्ति/निस्तारण /सगणना कार्य।

The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। विभाग द्वारा प्रति वर्ष लगभग 07 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का अतिरिक्त सृजन किया जाता है। इस कार्य के लिए विभाग में विकास खण्ड स्तर पर 01 अवर अभियन्ता (ल0सिं0), 2-3 बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पदस्थ है जिसके द्वारा विकास खण्ड स्तर पर शासन की नीतियों के अनुरूप लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण कराया जाता है। यह अवर अभियन्ता खण्ड विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत रहता है तथा विकास खण्ड स्तर पर लघु सिंचाई कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।

जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता पदस्थ है जिनका कार्यालय सामान्यतः मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय (विकास भवन) में स्थित है तथा यह मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से जनपद स्तर पर लघु सिंचाई कार्यों का सम्पादन कराते हैं।

सामान्यतः 2-3 जनपदों पर 01 अधिशासी अभियन्ता पदस्थ है जोकि आहरण वितरण अधिकारी होने के साथ-साथ लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए इन्हें आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदत्त है।

The norms set by it for the discharge of its functions;

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों, मशीनों एवं क्षेत्रीय कार्मिकों के मानक निम्न प्रकार हैं :-

1/4 1/2 y?kq fl pkbz l k/kuokj fl pu {kerk ds l`tu dk ekud

1. उथले नलकूप

(1) बोरिंग मय पम्पसेट	5.0 हेक्टेयर
(2) बोरिंग बिना पम्पसेट	0.5 हेक्टेयर
2. गहरे नलकूप 20.0 हेक्टेयर
3. मध्यम गहरे नलकूप 10.0 हेक्टेयर

1/4 1/2 e' khuka , oa fo' ksk mi dj . kka dk ekud

1. हैवी रिग मशीन 20 बोरिंग अथवा
1400 मीटर प्रति वर्ष
2. कम्प्रेसर 600 घण्टे प्रति वर्ष

1/4 1/2 g\$M ckfjx dk ekud

“प्रति बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन हेतु प्रति वर्ष 40 बोरिंग अथवा 750 स्टैण्डर्ड मीटररेज (150 मि0मी0 साइज) जो अधिक हो का मानक निर्धारित है।”

fcllnq l q; k& 5

The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;

लघु सिंचाई विभाग में वर्तमान में जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

- 1- fu% kyd ckfjx ; kst uk

- योजना में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषक पात्र हैं।
- योजना प्रदेश के अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों को छोड़कर सभी जनपदों में संचालित है।
- ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा आर्थिक रजिस्टर के आधार पर ग्रामवार पात्र कृषकों की सूची बनायी जाती है और बोरिंग टेक्नीशियन के इनवेंट्री रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात इन कृषकों का विवरण रूप-पत्र-1 में अंकित कर संस्तुति की जाती है।
- इस सूची पर ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार-विमर्श करके कृषकों का पात्रतानुसार चयन किया जाता है।
- खण्ड विकास अधिकारी अनुमोदित सूची के प्रत्येक लाभार्थी के रूपपत्र-1 में चयन का प्रमाण पत्र अंकित करते हैं।
- बोरिंग में पम्पसेट स्थापना के लिए ऋण हेतु इच्छुक कृषकों की पत्रावली तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित बैंकों को प्रेशित की जाती है।
- अनुसूचित जाति / जनजाति एवं सामान्य जाति के कृषकों एवं सीमान्त कृषकों हेतु पम्पसेट स्थापना को स्वैच्छिक कर दिया गया है किन्तु सिंचन क्षमता के स्तर को बनाये रखने के लिए 05 अनुसूचित जाति/जनजाति पर एक पम्पसेट 04 सामान्य जाति के कृषकों पर एक पम्पसेट स्थापित कराया जाता है।
- सामान्य जाति के लघु कृषकों की बोरिंग पर पम्प स्थापित करना अनिवार्य है।
- पम्पसेट हेतु ऋण लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
- पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित होने वाली बोरिंग हेतु पाइप एवं सामग्री की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं की जाती है। कृषक के प्रार्थना पत्र पर सहायक अभियन्ता द्वारा पाइप क्रय हेतु अनुदान स्वीकृत करने के उपरान्त कृषक डीलर से पाइप एवं अन्य सामग्री क्रय करता है।

- पाइप एवं अन्य सामग्री से सम्बन्धित अनुदान की धनराशि के अनुदान का चेक कृषक के नाम निर्गत किये जाने अथवा सम्बन्धित फर्म/डीलर को सीधे भुगतान किये जाने की दोनों व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था चुनने के लिए कृषक/लाभार्थी स्वतंत्र हैं।
- बोरिंग के प्राक्कलन की प्रति कृषक को उपलब्ध करायी जाती है तथा बोरिंग पूर्ण होने पर लाभार्थी को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र रूपपत्र-4 पर दिये जाने की व्यवस्था है।
- बोरिंग पूर्ण होने पर लाभार्थी अपने मन पसन्द का आई0एस0आई0 मार्क पम्प सेट नकद या ऋण से खुले बाजार से किसी भी अधिकृत विक्रेता से खरीद कर स्थापित करता है जिसके सत्यापन के उपरान्त अनुदान निर्गत किया जाता है।

; kstuk ds vlrxr vuell; vf/kdre vupku fuEuor g%&

	d' kd dh Js kh	ckfjæ ij	iEilW ij	dy vupku
¼½	सामान्य लघु कृषक (2.5 एकड़ से 5 एकड़)	रु0 3000/- प्रति बोरिंग	रु0 2800/- प्रति पम्पसेट	रु0 5800/
	सामान्य सीमान्त कृषक (2.5 एकड़ से कम)	रु0 4000/- प्रति बोरिंग	रु0 3750/- प्रति पम्पसेट	रु0 7750/
¼½	अनुसूचित जाति / जनजाति (लघु एवं सीमान्त)	रु0 6000/- प्रति बोरिंग	रु0 5650/- प्रति पम्पसेट	रु0 11650/.

2& खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में ; कृषि

- योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में (अति दोहित व क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों को छोड़कर) संचालित है।
- योजना में सभी श्रेणी के कृषक पात्र है। एक से अधिक कृषकों के लाभार्थी समूहों की संयुक्त बोरिंग भी अनुमन्य है।
- नलकूप से प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रफल 12 हे० से कम न हो। एल्यूवियल क्षेत्रों में नलकूप निर्माण 60 मी० से गहरे क्षेत्रों में अनुमन्य है।
- नलकूप की लागत में ड्रिलिंग, पाइप, पम्प हाउस, पम्पसेट, विद्युत कनेक्शन का व्यय सम्मिलित होता है।
- नलकूप निर्माण की लागत का 50: अधिकतम एक लाख रुपये जो भी कम हो का अनुदान देय है।
- इच्छुक कृषक रू० 1500/- की धनराशि प्रार्थना पत्र के साथ अधिशासी अभियन्ता(ल०सि०) कार्यालय में जमाकर पंजीकृत करायेंगे।
- पंजीकृत कृषकों की बोरिंग स्थल का जियोफिजिकल सर्वेक्षण कराया जाता है।
- जियोफिजिकल सर्वेक्षण में स्थल उपयुक्त पाये जाने पर नलकूप निर्माण का प्राक्कलन कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक बोरिंग प्राक्कलन का 50% धनराशि विभाग में अग्रिम जमा करेगा।
- विभाग द्वारा वरीयता क्रम में बोरिंग सम्पादित की जाती है।
- बोरिंग असफल होने पर कृषक की जमा धनराशि से मात्र व्यय का 10% अधिकतम 1000/- रू० जो भी कम हो, ही काटा जाता है।

- योजना निजी स्त्रोंतों के साथ-साथ ःरण द्वारा नलकूप निर्माण में भी लागू है।
- बोरिंग पूर्ण होने के पश्चात पम्प सेट के हॉर्स पावर इत्यादि की परामर्श के साथ कृषक को हस्तांतरित कर दी जाती है।
- कृषक द्वारा पम्प सेट स्थापना, विद्युत कनेक्शन, पम्प हाउस आदि निर्माण कराने के पश्चात सत्यापन के उपरान्त अनुदान की अवशेष धनराशि निर्गत की जाती है।

3& e/; e xgjs uydii dh ;kstuk

- यह योजना प्रदेश के समस्त एल्यूवियल क्षेत्रों (पठारी क्षेत्रों/ अतिदोहित एवं क्किकल विकास खण्डों को छोड़कर) जहाँ 31 मी0 से 60 मी0 के मध्य भूजलग्राही स्ट्रेटा मिलता है लागू है।
- योजना में सभी जाति/श्रेणी के कृषक पात्र हैं।
- मध्यम गहरे नलकूप से न्यूनतम 6 हेक्टेयर शुद्ध व 10 हेक्टेयर सकल भूमि सिंचित होना आवश्यक है और निर्माण स्थल से 300 मीटर की दूरी में दूसरा नलकूप नहीं होना चाहिये।
- नलकूप की लागत में ड्रिलिंग, पाइप, पम्पिंग सेट, पम्प हाउस, विद्युतीकरण एवं जल वितरण प्रणाली का व्यय सम्मिलित होगा।
- नलकूप लागत का 50% अथवा रू0 75000/- जो भी कम हो, का अनुदान अनुमन्य है।
- भूमिगत पाइप लाइन पक्की नाली निर्माण हेतु लागत का 50% अधिकतम रू0 10,000/- जो भी कम हो, के अनुदान की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार जल वितरण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 85000/- का अनुदान अनुमन्य है।

- मध्यम गहरे नलकूप निर्माण के इच्छुक कृषक रू0 1500/— रजिस्ट्रेशन राशि जमा कर सहायक अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता लघु सिंचाई कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।
- रजिस्ट्रेशन के उपरान्त कृषक की साइट का जियोफिजिकल सर्वेक्षण कराया जाता है।
- नलकूप स्थल का स्थलीय सर्वेक्षण उपयुक्त पाये जाने में प्राक्कलन राशि का 50% धन कृषक विभाग में जमा करता है। बोरिंग वरीयता क्रम में की जाती है।
- बोरिंग असफल होने में हुए व्यय का 10% अधिकतम रू0 1000/— जो भी कम हो, को कृषक की जमा धनराशि से काटा जाता है।
- बोरिंग पूर्ण होने के पश्चात पम्पसेट के हार्स पावर इत्यादि की परामर्श के साथ कृषक को हस्तांतरित कर दी जाती है।
- कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापना, विद्युत कनेक्सन/जनरेटर, पम्प हाउस, सिंचाई नाली आदि निर्माण कराने के पश्चात सत्यापन के उपरान्त अनुदान की अवशेष धनराशि कृषक को उपलब्ध करायी जाती है।
- इस योजना के लिए बैंको से सस्ती दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध है।

fcUnq / d; k& 6

A statement of the categories of documents that are held by it or under its control ;

लघु सिंचाई विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर पर निम्न अभिलेख रखे जाते हैं—

¼½ संगणना के आधार पर कृषकवार लघु सिंचाई कार्यों का विवरण/ इनवेन्ट्री रजिस्टर/ वर्ष में पूर्ण लघु सिंचाई कार्यों की सूची।

1/2½ fu% kŷd ckfj& grŷ &

- (i) चयनित कृषकों की पंजिका।
- (ii) चयनित कृषकों में से बैंक को भेजे गये एवं स्वीकृति आदेश की पंजिका।
- (iii) पूर्ण निःशुल्क बोरिंग की सूची कृषकवार/ वर्षवार।
- (iv) 1टी, 2टी, 1एस, 2एस (टूल्स एण्ड प्लांट एवं स्टॉक) के रजिस्टर।
- (v) स्ट्रेटा चार्ट कट फाइल।
- (vi) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों की पत्रावली।
- (vii) बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का प्रगति रजिस्टर।

tuin Lrj ij j[ks tkus okys vfhkys]k &

1- l kekl; & संगणना के आधार पर लघु सिंचाई कार्यों का कृषकवार, ग्रामवार, विकास खण्डवार विवरण। गार्ड फाइल/रजिस्टर/आय रजिस्टर/रजि० आफ फाइल शा० आ० से सम्बन्धित पुस्तिकायें माप पुस्तिकायें/मूवमेन्ट पंजिका/वेतन बिल/यात्रा भत्ता बिल/जी०पी०एफ लेजर/जी.पी.एफ. पासबुक/सेवा पुस्तिकायें, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्रों की पत्रावलियाँ, टूल्स एण्ड प्लांट एवं स्टॉक के रजिस्टर, कृषकवार।

2- fu% kŷd ckfj&&

- (i) वर्षवार कृषकवार पूर्ण निःशुल्क बोरिंग की सूची।
- (ii) वर्षवार निःशुल्क बोरिंग हेतु पम्पसेट पर दिये जाने वाले अनुदान का विवरण, कृषकवार, बैंकवार।
- (iii) निःशुल्क बोरिंग का कृषकवार व्यय विवरण पंजिका।

2. xgjh o e/; e xgjh ckfj& &

- (i) रजिस्टर्ड कृषकों का विवरण।
- (ii) भूगर्भ जल विभाग अथवा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर को स्थल सर्वेक्षण हेतु भेजे गये कृषकों का विवरण व प्राप्त रिपोर्ट
- (iii) रजिस्टर्ड बोरिंग एजेन्सियों का विवरण।
- (iv) बोरिंग हेतु कृषकों की प्राथमिकता का रजिस्टर।

- (v) कृषकवार बोरिंग का व्यय विवरण व अनुदान समायोजन की स्थिति।
- (vi) वर्ष में पूर्ण बोरिंग का विवरण।
- (vii) बोरिंग पर पम्पसेट स्थापना का विवरण कृषकवार।

fcllmg / 0 7&

The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its or administration there of;

लघु सिंचाई विभाग की अधिकांश योजनायें जनपद सेक्टर के अन्तर्गत आती हैं। इन योजनाओं हेतु धन का परिव्यय जनपद की जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसमें जनपद के जनप्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

लघु सिंचाई विभाग की मुख्य योजना "निःशुल्क बोरिंग" की है जिसमें उथले नलकूपों की स्थापना की जाती है। इसके अन्तर्गत कृषक का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है। गहरे नलकूप एवं मध्यम गहराई के नलकूपों का रजिस्ट्रेशन जनपद स्तर पर किया जाता है, जिसमें प्राथमिकता रजिस्टर के आधार पर कार्य किया जाता है।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्य कृषक के स्वयं के होते हैं, उदाहरणतः निःशुल्क बोरिंग (उथले नलकूप), मध्यम गहराई के नलकूप, गहरे नलकूप आदि कृषकों के कार्यों का रख-रखाव स्वयं कृषक द्वारा किया जाता है। नलकूपों के मामलों में विभाग द्वारा बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जाता है शेष कार्य उदाहरणतः पम्पसेट स्थापना, पम्प हाऊस/सम्प हाऊस का निर्माण, विद्युतीकरण आदि कृषक द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण में प्रत्येक स्तर पर जनसहभागिता रखी जाती है।

fcUnq / 8&

foHkkx dh fofHkUu I feFr; k dk fooj .k o mudh dk; bkgh

A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons coustituted as its part or for the purpose of its advise, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

लघु सिंचाई विभाग में कोई समिति आदि गठित नहीं है।

fcUnq / 9&

- 1- b0 vkbDi h0 fl g
I gk; d vfHk; Urk
y?kq fl pkb@ tul upuk vf/kdkjh

Qsu u-
9336589006

- 2- ch-l h- tks kh
voj vfHk; Urk 1/2
I gk; d tul upuk vf/kdkjh

Qsu ua 9412188613

fcUnq / 10&

vf/kdkfj; k@depkfj; k }kjk i klr ekfl d ifjyfc/k; k dk fooj .k

The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulation;

लघु सिंचाई विभाग के जनपदीय मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जा रहे सकल मासिक वेतन का विवरण निम्नानुसार है—

	Name	Designation	Basic Pay	Gross Pay
1	Mr. Indra Pal Singh	Assistt. Engineer	13575	24993
2	Mr. Bhuwan Chandra Joshi	JR. Engineer (Mech.)	9100	18028
3	Mr. Baboo Ram (Kyara)	Boring Technician	6500	11043
4	Mr. Mohd. Zamir Gureshi (Bhuta)	Boring Technician	6350	9587
5	Mr. Mahendra Singh (Kyara)	Boring Technician	6350	11352
6	Mr. Harpal Singh (Ram Nagar)	Boring Technician	6350	10137
7	Mr. Jitendra Prasad Saxena	Sr. Assitt.	6125	10773
8	Mr. Laxman	Driver	5500	10323
9	Mr. Prithvi Singh	Sr. Assitt.	5875	11164
10	Mr. Suresh Ram (Baheri)	Boring Technician	5300	7756
11	Mr. Ram Autar (Majhganwa)	Boring Technician	5300	9551
12	Mr. Ravindra Kumar (Kyara)	Boring Tecinician	5750	10981
13	Mr. Mahendra K. Sharma (Ram Nagar)	Boring Technician	5300	9756
14	Mr. Balak Ram (Bhojipura)	Boring Technician	5300	10326
15	Mr. Net Ram (Meerganj)	Boring Technician	5300	7756
16	Mr. Vijay S. Trivrudi-Bhojipura	Boring Technician	5300	10426
17	Mr. Jagdish P. Sharma (Fatehganj)	Boring Technician	5750	11118
18	Mr. Hari Krishna (Kyara)	Boring Technician	5300	8326
19	Mr. Om Prakash (Store)	Boring Technician	5300	7566
20	Mr. Chotey Sharma (Majh)	Boring Technician	5300	9756
21	Mr. Dinesh Pal Singh	Driver	4800	8278
22	Mr. Sazid Ali Khan (Majh)	Boring Technician	5000	9180
23	Mr. Arif Yar Khan (F.W.)	Boring Technician	5000	7675
24	Mr. Pradip Kapoor (Baheri)	Boring Technician	5000	7280

25	Mr. Ajay Kumar Saxena (Ram Nagar)	Boring Technician	5000	8755
26	Mr. Anurodh P. Saxena (Bhojipura)	Boring Technician	5000	9675
27	Mr. Ajay Gupta (Faridpur)	Boring Technician	5000	9180
28	Mr. Dilshad Ali (Faridpur)	Boring Technician	5000	8930
29	Mr. Man Singh (Majhganwa)	Boring Technician	5000	9030
30	Mr. Rakesh K. Sharma (Bhadpura)	Boring Technician	5000	8930
31	Mr. Nukta Prasad (Shergarh)	Boring Technician	5000	6030
32	Mr. Dharmendra Singh (Bhojipura)	Boring Technician	5000	9675
33	Mr. Jorawar Singh (F.W.)	Boring Technician	5000	9675
34	Mr. Bhuneshwar K. Dixit (Bithri)	Boring Technician	5000	9675
35	Mr. Ajay Vir Singh (Bhuta)	Boring Technician	5000	9180
36	Mr. Ram Ratan Singh (Bhuta)	Boring Technician	4700	8644
37	Mr. Dhurender V. Singh (Baheri)	Boring Technician	5000	7680
38	Mr. Raj Kumar (Damkhoda)	Boring Technician	5000	9180
39	Mr. Rajendra John (Bithri)	Boring Technician	5000	9675
40	Mr. Akeel Ahmad (Bithri)	Boring Technician	5000	9425
41	Mr. Tasneem Miyan	Ameen	4645	8179
42	Mr. Bhajan Lal	Ameen	4645	6679
43	Smt. Saira Sagir	JR. Asstt.	3950	5630
44	Mr. Navin K. Yadav (Fatehganj)	Assistt. Boring Tech.	4200	7213
45	Mr. Javed Anwar	JR. Asstt.	3800	7363
46	Mr. Mahipal (Damkhoda)	Asstt. Boring Tech.	4000	7098
47	Mr. Munish Kumar Sharma (F.W.)	Asstt. Boring Tech.	3275	6372
48	Mr. Vijay Pal (H.Q.)	JR. Asstt.	3275	5803
49	Mr. Todi Lal (Nawabganj)	Asstt. Boring Tech.	3275	6518
50	Mr. Jitendra K. Pankaj (Bhadpua)	Asstt. Boring Tech.	3125	6168

51	Mr. Anil Kumar (Nawabganj)	Asstt. Boring Tech.	3125	6168
52	Mr. Sushil K. Pandey (Faridpur)	Asstt. Boring Tech.	3125	6168
53	Mr. Musharraf Ali (Majhganwa)	Asstt. Boring Tech.	1310	2568
54	Mr. Manohar Lal	peon	3730	5103
55	Mr. Prem Pal	Chowkidar	1995	4135
56	Mr. Ramvir Singh	Chowkidar	2660	5123
57	Smt. Vineeta Saxena	peon	2840	5370
58	Mr. Vikas Saxena	Chowkidar	2550	5309

fclUnq | 11&

The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

लघु सिंचाई विभाग में आहरण वितरण का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को है जिन्हें शासन/विभाग द्वारा जनपदवार/योजनावार सीधे धन आवंटित किया जाता है।

fclUnq | 12&

The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

लघु सिंचाई विभाग द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही हैं उनका तथा अनुदान का विवरण निम्न है –

1- y?kq , oa | hekUr d"kdka grq | gk; rk ¼fu% kq/d ckfjæ ; kst uk½

निःशुल्क बोरिंग योजना जनवरी 1985 में चालू की गई थी। यह योजना उथले नलकूप निर्माण की है जिसमें 30 मीटर गहराई तक बोरिंग की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों को बोरिंग के अतिरिक्त

पम्पसेट पर भी अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार से 50:50 के आधार पर वर्ष 1991-92 तक वित्त पोषित थी इसके उपरान्त इस योजना को जिला योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु बोरिंग की अधिकतम सीमा क्रमशः रू० 3000/-, रुपये 4000/- एवं रू० 6000/- निर्धारित है तथा पम्पसेट के क्रय पर लघु कृषक को अधिकतम रू० 2800/-, सीमान्त कृषकों को रू० 3750/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को रू० 5650/- अनुदान देय है।

2- futh y?kq fl pkbz dk; bde

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः निम्न योजनाएं हैं :-

- 1- हैवी रिग मशीन/मैकेनाइज्ड रिग मशीनों द्वारा गहरे नलकूपों का निर्माण।
- 2- मध्यम गहराई के नलकूप की योजना।

¼½ gsh fjx e khu@e&dukbTM fjx e khu }kjk xgjs uydii ka dk fuekZk

कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में विभागीय/ प्राइवेट/ अन्य सरकारी संस्थाओं की हैवी रिग मशीनों से बोरिंग करके नलकूप निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 1,00,000/- का अनुदान कृषकों को देने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 60 मीटर से अधिक गहराई तक के नलकूपों का निर्माण किया जाता है। यह योजना जिला सेक्टर के अन्तर्गत संचालित है। इस योजना में बोरिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का जियोफिजिकल सर्वेक्षण भूगर्भ जल विभाग/ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा किया जाता है जिसमें स्थल उपयुक्त पाये जाने पर ही बोरिंग की जाती है फिर भी अगर बोरिंग असफल हो जाती है तो कृषक के द्वारा 1000/- रुपये ही लिया जाता है शेष व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

1/2½ e/; e xgjkbl ds uydi dh ; kst uk

प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 31–60 मी० तक की गहराई में भूजल ग्राही स्रोत मिलते हैं, के लिए मध्यम नलकूप योजना वर्ष 2004–05 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना वर्तमान में जिला सेक्टर एवं राज्य सेक्टर के अधीन संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 75000/– का अनुदान कृषकों को नलकूप पर तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रू० 10000/– की धनराशि जल वितरण प्रणाली हेतु अनुदान के रूप में स्वीकृत है। सर्वेक्षण में उपर्युक्त पाये जाने पर बोरिंग असफल होने पर कृषक से रू० 1000/– लिया जाता है।

fcllnq / 13&

NW@fj; k; r@ijfeV vkfn dk fooj.k

Particulars of recipients of concessions, permits or authorisation granted by it;

उक्त का लघु सिंचाई विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

fcllnq / 14&

लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र० की बेबसाइट में उपलब्ध सूचनाओं की प्रति इलेक्ट्रॉनिक फार्म (सी.डी.) में राज्य सूचना अधिकारी लखनऊ के पास उपलब्ध है। लघु सिंचाई की बेबसाइट का पता निम्नवत् है।

“Minor Irrigation UP.Com”

fcllnq / 15&

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के दिन व समय का विवरण जिला स्तरीय मुख्यालय, कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, कक्ष सं० 39 द्वितीय तल विकास भवन बरेली में स्थित है। इस कार्यालय का कार्य दिवस सप्ताह में 6

दिन (रविवार अवकाश) है तथा प्रतिदिन कार्यालय अवधि प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक है।

विभागीय कार्यक्रम से सम्बन्धित एवं अन्य किसी प्रकार की सूचना उक्त कार्य अवधि के दौरान जनता द्वारा जन सूचना सहायक/सूचना दाता से प्राप्त की जा सकती है। कार्यालय में कोई पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष नहीं है।

fcllnq / 16&

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पद व अन्य विवरण

Øa l a	vf/kdkjh dk uke	i nuke	dk; kly; dk uke	nj Hkk' k l Ø
1	इं आई0पी0 सिंह	सहायक अभियन्ता/जनसूचना अधिकारी	सहायक	9336589006
2	बी.सी. जोशी	अवर अभियन्ता (मु0) सहायक जन सूचना अधिकारी	अभियन्ता, लघु सिचाई विभाग बरेली	9412188724
3	जावेद अनवर	कनिष्ठ सहायक/सूचना सहायक		9319425053

fcllnq / 17&

इस प्रकार की और अन्य सूचनायें जो दी जाएगी के प्रकाशन को प्रत्येक वर्ष अध्यानिधिक किया जाना।

लघु सिचाई विभाग, उ0प्र0 की बेबसाइट “**Minor Irrigation U.P.COM**” में उपलब्ध और आगे दी जाने वाली सूचनाओं के प्रकाशन को प्रत्येक वर्ष स्थिति अनुसार अध्यावधिक किया जायेगा।